# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—2016 / 00199 / 225**

1. गोस्वामी श्याम मनोहर पुत्र दीक्षित श्री विट्ठल नाथ जी, आचार्य / स्वामी मंदिर श्री बृजराज जी महाराज, निवासी नया शहर किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर एवं स्वास्तिक सोसायटी विलेपार्ला, मुम्बई (महाराष्ट्रा) जरिये मुख्तयारनामा आम किरण ठक्कर पुत्र जगजीवन दास ठक्कर, निवासी 458 / 68 जे.एस.एस.रोड़, 29, जे.के. भाटिया सोसायटी, मुम्बई (महारास्ट्रा) 400002

**अपीलांट**

**बनाम**

1. पन्नालाल सांखला पुत्र लालाराम सांखला, अधिकृत प्रतिनिधि माली समाज (महात्मा ज्योतिबा फूले संस्थान), निवासी माली मौहल्ला, नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 29.4.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 37 / 2015.**

**उपस्थितः—**

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

## निर्णय

**दिनांकः— 23.12.2020**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 29.4.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी / अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया तथा वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की निजी खातेदारी, काश्तकारी की आराजियात ग्राम किशनगढ़ तहसील, अजमेर में खसरा संख्या 1069, 1070 व 1071 कुल रकबा 11—8—00 बीघा अवस्थित है जिस पर अपीलांट काबिज काश्त है । विवादित आराजियात पर अप्रार्थी / रेस्पो0 बिना किसी अधिकार के वादग्रस्त नजरी नक्शे में दर्शित रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा आराजी के विशेष भू—भाग पर बोर्ड लगाकर, खुर्द—बुर्द करने, निर्माण कार्य करने, भूमि की शक्ल परिवर्तित करने पर आमादा है तथा प्रार्थी / अपीलांट को धमकी देते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया

जावे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र दिनांक 29.4.2016 को आदेश पारित कर आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को खसरा नंबर 1068 पर किसी भी प्रकार का निर्माण आदि नही करने हेतु पाबंद किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 में स्पष्ट रूप से कथन किया था कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 1069, 1070 व 1071 कुल रकबा 11–8–00 बीघा में आराजी के नक्शे में पीले रंग से दर्शित रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा आराजी अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जिस पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है । विवादित आराजियात पर रेस्पो0 बिना किसी अधिकार के आराजी के विशेष भू–भाग को खुर्द–बुर्द करने, निर्माण करने तथा भूमि की शक्ल परिवर्तित करने पर आमादा है । इसलिये अप्रार्थी/रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद विवादित आराजियात बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे लेकिन अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष को नजरअंदाज कर आदेश दिनांक 29.4.2016 को प्रकरण में लिप्त आराजी के बाबत कोई निर्णय पारित किये बिना मात्र प्रार्थना पत्र धारा 212 की पत्रावली के आधार पर अंकित कर उसके साथ संलग्न करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश अपने आप में विरोधाभाषी है क्योंकि एक तरफा जब प्रकरण में लिप्त आराजी बाबत् अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना अंकित किया है तथा दूसरी तरफ प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में लिप्त आराजी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्णय को आधार बताकर उक्त पत्रावली का पृथक से निर्णय करना उचित नही मानकर प्रकरण के बाबत् आदेश प्रदान किया है । अधी0न्याया0 ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया है । अप्रार्थीगण प्रार्थी/अपीलांट की आराजी में बिना किसी विधिक अधिकार के आराजी के विशेष भू–भाग पर निर्माण करने, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर रेस्पो0 को विवादित आराजियात बाबत् ताफैसला मूल वाद विवादित भूमियों पर रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात बाबत् प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 111/2013 में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है इसलिये अब उन्ही आराजियात बाबत् प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । इसीलिये अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 37/2015 को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलाधीन भूमियों के संबंध में अपीलाधीन

भूमियों पर रिसीवर नियुक्ति करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है । जिसका जवाब अप्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि पूर्व में विवादित भूमि एवं समान पक्षकारों के मध्य धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रकरण संख्या 111/2013 में निर्णय कर दिया गया है । अधी0न्याया0 ने उस निर्णय के परिपेक्ष्य में धारा 212 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पर दिये गये निर्णय दिनांक 29.4.2016 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष एक अन्य अपील संख्या 2016/00161 उनवान गोस्वामी श्याम मनोहर बनाम पन्नालाल सांखला प्रस्तुत की गई जिसमें आज दिनांक को निर्णय पारित कर प्रार्थी/अपीलांट की अपील निरस्त की गई है । अतः उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रार्थी/अपीलांट की यह अपील में अन्य कोई आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 (2) राज0काश्त0अधि0 खारिज योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अपील संख्या 2016/00161 बउनवान गोस्वामी श्याम मनोहर बनाम पन्नालाल सांखला की अपील में पारित निर्णय दिनांक की प्रति संलग्न पत्रावली की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 23.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**